उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-12/2019/107/92-2-2019-2टी0ए0सी0/2018

लखनऊ :: दिनांक:: 10 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-प्रतापगढ. में वर्ष 2014-15 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम गहबरा विकास खण्ड आशपुर देवसरा में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यों में प्लास्टर निर्धारित मानक/मोटाई के अनुरूप न होने, नाली की तली/ब्रिक चिनाई के ऊपर में पी0सी0सी0 शक्ति में कमजोर होने, सीमेंट कंक्रीट/लीन कंक्रीट की मोटाई कम पाये जाने आदि अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 1,22,418.00 के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्कालीन अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ सम्प्रति सहायक अभियन्ता प्रखण्ड गोरखपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभि0 विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्णकर जांच आख्या (दो प्रतियों में) शासन को निर्धारित समयावधि मे उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-12/2019/107(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 के पत्र सं0-जी-106/पी0ए0-सी0टी0ई0/2848-110/02/2018-19, दिनांक 31-12-2018 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में अरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **(संलग्नक सहित)।**

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल लखनऊ।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड प्रतापगढ़ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्कालीन अवर अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ सम्प्रति सहायक अभियन्ता प्रखण्ड-गोरखपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in